

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/16451-60

दिनांक:- 01 अक्टूबर 2013

कार्यालय आदेश

श्री केसरमल गोठवाल लेखाकार (लिंग नम्बर 8435) पंचायत समिति, दांतारामगढ जिला सीकर का विभाग के आदेश संख्या 235/2013-14 दिनांक 19.9.2013 से उपकोषालय, दांतारामगढ जिला सीकर में किया गया था । विकास अधिकारी पंचायत समिति दांतारामगढ द्वारा श्री केसरमल गोठवाल लेखाकार को कार्यमुक्त नहीं किये जाने के कारण श्री गोठवाल को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति उपकोषालय दांतारामगढ जिला सीकर में अविलम्ब देवें ।


(वीरबाला जोशी)

निदेशक
कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/16451-60

दिनांक:- 01 अक्टूबर 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, सीकर को भेज कर लेख है कि वे श्री केसरमल गोठवाल लेखाकार यदि उपकोषालय दांतारामगढ जिला सीकर में कार्यग्रहण नहीं करते है तो उनका आगामी माह का वेतन का चैक पारित नहीं करें ।
2. उपकोषाधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति, दांतारामगढ जिला सीकर
4. श्री केसरमल गोठवाल पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर को पालनार्थ
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. व्यक्तिगत पंजिका।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)